

८ = = = = = = = = = =

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

८ = = = = = = = = = =

के

अन्तर्गत

मैनुअल

का

निर्माण

राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।



राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।

आरटीआई० एकट-२००५ के अन्तर्गत मैनुअल का निर्माण

बिन्दु -१- संस्थान का विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य -

(१) संस्थान का विवरण -

राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय एक विशिष्ट एवं पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९१६ में की गयी। इसका क्षेत्रफल लगभग ८ एकड़ है। जिसमें संस्था का प्रशासनिक भवन, शैक्षिक भवन, छात्रावास अधीक्षक आवास, टाइप - ३ के ५ टाइप - २ के २ एवं टाइप - १ के २ आवास बने हुये हैं। संस्था में ३० छात्रों के रहने की क्षमता का छात्रावास भी बना हुआ है।

इस संस्थान में तीन पाठ्यक्रम क्रमशः (१) लेदर टेक्नालाजी टेनिंग (२) लेदर टैक्नालाजी फुटवियर (कैड)(३)सेडलरी टेक्नालाजी एण्ड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तीनों ही तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान में तीनों पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता ६०-६० छात्रों की है। तीनों पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।

संस्थान में चल रहे दोनों ही पाठ्यक्रमों में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष मई माह में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जाते हैं। उक्त तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता विज्ञान-२ एवं गणित -२ विषयों के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। अधिकतम् आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रवेश फार्म जनवरी माह में उपलब्ध होते हैं।

(2) कार्यकलाप एवं कर्तव्य—

संस्थान में सम्पन्न होने वाले विभिन्न कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है—

ए— प्रवेशित छात्रों को प्रशिक्षण — संस्थान में टेनरी, फुटवियर वर्कशाप एवं टेस्टिंग लैब के अतिरिक्त विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सुसज्जित लैब है।

छात्रों को प्रयोगशाला के प्रशिक्षण के दौरान कच्चे चमड़े को प्रोसेस द्वारा चमड़ा तैयार करना सिखाया जाता है तथा तैयार चमड़े से फुटवियर, लेदर गुड्स जैसे चर्म पादुका, चप्पल, बैग, खेलकूद का सामान आदि को निर्मित करना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर आधारित शू-डिजाइनिंग का कार्य भी सिखाया जाता है।

बी— खेलकूद — छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता को देखते हुये संस्था में इनडोर गेम्स एवं आउट डोर गेम्स की पूर्ण सुविधा है। संस्था स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं।

सी— शैक्षिक भ्रमण — इसके अन्तर्गत छात्र संस्था के वरिष्ठ प्रशिक्षकों के निर्देशन में चर्म/फुटवियर सम्बन्धी प्रतिष्ठित उद्योगों में शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं जहाँ वे प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

डी— सेमिनार का आयोजन — संस्था में ही समय समय पर सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। जिसमें प्रतिष्ठित चर्म उद्योगों एवं शैक्षिक इकाइयों के तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्रों को नवीनतम् ज्ञान प्रदान कराया जाता है।

ई— कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन — छात्रों के पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के परिणाम आने के बाद संस्था स्तर पर स्थापित “ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट विभाग” द्वारा सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों को पत्राचार द्वारा सूचित कर कैम्पस साक्षात्कार आयोजित कराये जाते हैं। जिसमें इकाईयों के विशेषज्ञ कई छात्रों को उनके प्राप्तांकों एवं ज्ञान के आधार पर तत्काल अपनी औद्योगिक इकाइयों में समायोजित कर लेते हैं।

एफ— लर्निंग रिसोर्स सेन्टर— संस्था में तीनों पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित छात्रों को आधुनिक तकनीकी का ज्ञान व्यवहारिक रूप से कराने हेतु लर्निंग रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसमें आधुनिक उपकरणों जैसे फ़िल्म

प्रोजेक्टर, टेलीविजन के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समय समय पर छात्रों को अतिथि व्याख्यान/सेमिनार के माध्यम से लाभान्वित कराया जाता है। टी०वी० चैनल द्वारा यू०जी०सी० कार्यक्रम भी छात्रों को दिखाये जाते हैं।

जी— कम्प्यूटर लैब — संस्था में छात्रों को पढ़ने हेतु एक सुसज्जित कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है। इस लैब में छात्रों को लेदर/फुटवियर आटो कैड के माध्यम से शू डिजाइनिंग सिखायी जाती है।

एच— राष्ट्रीय सेवा योजना — संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों का समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय

विशेष शिविर एवं सामान्य शिविर आयोजित किये जाते हैं। साथ ही संस्था स्वयं सेवक छात्र पल्स पोलियो महाअभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

बिन्दु – 2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

क्रम	पद नाम	अधिकार	कर्तव्य
1–	प्रधानाचार्य	संस्थान के सर्वोच्च अधिकारी का अधिकार। संस्थान के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निस्तारण का अधिकार। संस्थान की नीति निर्धारण का अधिकार।	संस्थान के समस्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन का कर्तव्य।
2.	अध्यक्ष लेदर टेक्नालाजी	लेदर टेक्नालाजी विभाग के प्रशिक्षण में दिशा निर्देशन का अधिकार।	लेदर टेक्नालाजी विभाग के सुचारू प्रशिक्षण का कर्तव्य, परीक्षा सम्पादन का कर्तव्य।
3.	व्याख्याता अप्रावधिक	शैक्षिक अधिकारी, परीक्षा अधिकारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन का अधिकार।	संस्था के विभिन्न पाठ्यक्रमों के सुचारू प्रशिक्षण का कर्तव्य, परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन का कर्तव्य तथा एन0एस0एस0 के विभिन्न क्रिया-कलापों के सम्पादन का कर्तव्य।

4.	व्याख्याता लेदर केमिस्ट्री	लेदर टेक्नालाजी एवं फुटवियर टेक्नालाजी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना का अधिकार ।	लेदर टेक्नालाजी एवं फुटवियर टेक्नालाजी के छात्रों के समुचित एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था का कर्तव्य ।
5.	सहाय प्रवक्ता यांत्रिक	—	संस्था के प्राक्टर के रूप में छात्र अनुशासन का कर्तव्य, भण्डार सम्बन्धी कार्यों से सम्पादन का कर्तव्य ।
6.	भाषा प्रशिक्षक	—	प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विषयों के थ्योरी एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का कर्तव्य ।
7.	प्रवक्ता शैक्षिक विषय इन्जी0	—	इंजीनियरिंग विषयों के प्रशिक्षण का कर्तव्य, छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का कर्तव्य एवं सामु0 वि0 परि0 के कार्यों का कर्तव्य ।
8.	कला प्रशिक्षक	—	इंजी0 ड्राइंग सम्बन्धी विषयों के अध्यापन का कर्तव्य ।
9.	लेदर इन्स्ट्रक्टर		लेदर एवं फुटवियर टेक्नोलाजी के छात्रों को प्रशिक्षित करने का कर्तव्य तथा प्रधानाचार्य महोदय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों के सम्पादन का कर्तव्य ।

क्रमांक:-----6

10	चर्म प्रशिक्षक		लेदर एवं फुटवियर के छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने का कर्तव्य तथा प्रधानाचार्य महोदय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों के सम्पादन का कर्तव्य ।
11	पुस्तकालयाध्यक्ष		पुस्तकालय की पुस्तकों का रखरखाव, पुस्तकों को छात्रों व स्टाफ में निर्गत करना एवं पुस्तकों की आवश्यकता से प्रधानाचार्य को अवगत कराने का कर्तव्य ।
12	लैब असिस्टेन्ट कम डिमांस्ट्रेटर		संस्था की कक्षाओं की देखरेख करना तथा केमिस्ट्री प्रयोगात्मक कार्य कराने का कर्तव्य ।
13	कम्प्यूटर प्रोग्रामर		कम्प्यूटर लैब का रख रखाव का कर्तव्य, कम्प्यूटर सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण का कर्तव्य तथा प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
14	कुशल कारीगर	—	छात्रों के कर्मशाला प्रशिक्षण का कर्तव्य तथा प्रधानाचार्य महोदय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
15	आफिस ड्राइंग	—	इंजी0 ड्राइंग विषयों के अध्यापन का कर्तव्य ।
16	टेक्नीशियन	—	संस्था में उपलब्ध उपकरणों के मरम्मत का कर्तव्य ।

// 7 //

17	स्टेनो	—	प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशन में समस्त गोपनीय पत्राचार का कर्तव्य तथा अन्य सौंपे गये कार्य ।
18	कनिष्ठ लिपिक (भण्डार)	—	भण्डार सम्बन्धी सभी कार्यवाहियों के सम्पादन का कर्तव्य ।
19	कनिष्ठ लिपिक (लेखा)	—	संस्था के लेखा सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन का कर्तव्य तथा प्रधानाचार्य जी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों के सम्पादन का उत्तरदायित्व ।
20	कनिष्ठ लिपिक (स्थापना)	—	संस्था में कार्यरत अधि0/कर्म0 की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव तथा सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों का कर्तव्य ।
21	कनिष्ठ लिपिक	—	छात्र लिपिक सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन का कर्तव्य तथा डायरी डिस्पैच सम्बन्धी कार्यों का कर्तव्य ।

बिन्दु-3— निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व —

संस्था में सम्पादित होने वाले विभिन्न कार्यकलापों में निर्णय लेने हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया है, जैसे छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी सभी निर्णय “प्रवेश समिति” द्वारा लिये जाते हैं। छात्रों के परीक्षा

सम्बन्धी समस्त निर्णय “परीक्षा समिति” द्वारा लिये जाते हैं। छात्रों के अनुशासन सम्बन्धी निर्णय “अनुशासन समिति” द्वारा लिये जाते हैं। संस्था में विभिन्न सामग्री आदि के क्रय सम्बन्धी समस्त निर्णय “क्रय समिति” द्वारा लिये जाते हैं।

उक्त गठित समस्त समितियों के अध्यक्ष/प्रधानाचार्य द्वारा समितियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है। समितियाँ सम्पूर्ण स्थितियों का सही अध्ययन करने के उपरान्त ही निर्णय लें यह उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का होता है।

बिन्दु-4— विभिन्न कार्य-कलापों के सम्पादन हेतु नॉर्मस-

संस्था में विभिन्न क्रिया-कलापों का सम्पादन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रेषित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार किया जाता है।

बिन्दु-5— विभिन्न कार्यकलापों हेतु रखे जाने वाले रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्स्ट्रक्शन मैनुअल एवं रिकार्ड —

संस्था के समस्त क्रियाकलापों का सम्पादन वित्तीय हस्तपुस्तिका, शासन की विभिन्न नियमावली, परिषद की नियमावली, शासन द्वारा निर्गत सेवानियमावली एवं समय-समय पर होने वाले शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा उपरोक्त सभी रूल्स, रेगुलेशन्स एवं शासनादेशों का रिकार्ड संस्थान में रखा जाता है।

बिन्दु-6- संस्थान में रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेख –

लेखा-विभाग—

मुख्य रोकड़ पुस्तक, पी०एल०ए० रोकड़ पुस्तक, कम्युनिटी रोकड़ पुस्तक, वेतन पंजिका, जी०पी०एफ० पास-बुक, जी०पी०एफ० लेजर, ब्राड शीट, मासिक व्यय विवरण रजिस्टर, फीस रजिस्टर, समाज कल्याण-पिछड़ी जाति-अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रजिस्टर ।

स्टोर –

कच्चा माल स्टाक बुक, स्टेशनरी स्टाक बुक, टूल्स एण्ड पार्ट रजिस्टर, इण्डेण्ट बुक ।

स्थापना –

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकार्ये तथा व्यक्तिगत फाइले ।

शैक्षिक –

संस्थान के सभी शिक्षक छात्र उपस्थित रजिस्टर एवं टीचर्स डायरियों का रखरखाव करते हैं ।

बिन्दु-7- संस्थान के नीति निर्धारण अथवा प्रशासन में जनता का कोई योगदान नहीं होता है ।

बिन्दु-8- संस्थान में कोई ऐसी परिषद, समिति या बोर्ड का गठन नहीं है जो जनता के लिये खुली है ।

**बिन्दु-9 एवं 10— संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिग्दर्शिका एवं
उनके द्वारा**

प्राप्त किये जाने वाले मासिक वेतन का विवरण —

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतनमान	मासिक मूल वेतन
01	श्री डा० पी०के० अवस्थी	का० प्रधानाचार्य	10000—325—15200	12275
02	श्री जितेन्द्र कुमार	व्याख्याता फुटवियर टेक.	8000—13500	8000
03	श्री राजकुमार तिवारी	प्रवक्ता यांत्रिक	10000—325—15200	12275
04	श्रीमती विजय शुक्ला	भाषा प्रशिक्षक	8000—13500	10750
05	श्री जगत प्रकाश त्रिपाठी	प्रवक्ता शै०वि०इन्जी०	8000—13500	10200
06	श्रीमती नीरज सक्सेना	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500—7250	7800
07	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	लेदर इन्स्ट्रक्टर	5000—8000	6050
08	श्री विनोद कुमार	लेदर इन्स्ट्रक्टर	5000—8000	6050
09	श्री प्रेम कुमार पाण्डेय	लेदर इन्स्ट्रक्टर	5000—8000	6050
10	श्री मिलेन्द्र कुमार सिंह	चर्म प्रशिक्षक	8000—13500	8550
11	श्री एस०एन० शुक्ला	लैब असि० कम डिमा०	4500—7250	6275
12	श्री स्वामीदास श्रीवास्तव	चर्म प्रशिक्षक	5000—8000	5750
13	श्री के०के० निगम	कुशल कारीगर	5000—8000	7350
14	श्री संजय श्रीवास्तव	टेक्नीशियन	4000—6000	5625
15	श्री एम० ए० बेग	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4500—7000	5750
16	श्री प्रह्लादप्रसाद अग्निहोत्री	कुशल कारीगर	5000—8000	6950
17	श्री श्रीकुमार	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4500—7000	5750
18	श्री प्रमोद कुमार अवस्थी	आफिस ड्राफ्टमैन	5000—8000	6800
19	श्री योगेन्द्र सिंह	चर्म प्रशिक्षक	3200—4900	3200
20	श्री एन०के० चौबे	चर्म प्रशिक्षक	3200—4900	3280
21	श्री० के० के० त्रिवेदी	वरिष्ठ लिपिक	4500—7000	5875
22	श्री राजेन्द्र सागर	स्टेनो	4500—7250	6125
23	श्री प्रदीप सिंह	टेक्नीशियन	4000—6000	5625
24	श्री एस०एम० शारिक	कनिष्ठ लिपिक	4000—6000	4700

25	श्रीमती प्रतिभा सिंह	कनिष्ठ लिपिक	3050—4590	3275
26	श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक	3050—4590	3575
27	श्री गोपाल कुमार रावत	क० लिपिक	3050—4500	3350
28	श्री राम नाथ शर्मा	परिचर	2750—4400	3950
29	श्री राम चन्द्र यादव	परिचर	2750—4400	3950
30	श्री अविनाशकुमार श्रीवास्तव	बिजली मिस्त्री	2610—3540	3730
31	श्री राज बहादुर	परिचर	2610—3540	2660
32	श्री राकेश कुमार कमल	परिचर	2610—3540	3425
33	श्री राम बीर सिंह	लैब अटै०	2610—3540	2660
34	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	माली	2750—4410	3950
35	श्री सूर्य बहादुर	परिचर	2550—3200	3080
36	श्री सुनील	लैब अटै०	2610—3540	3540
37	श्याम लाल	स्वच्छकार	2610—3540	2660
38	सत्येन्द्र कुमार	अर्दली	2610—3540	2660

बिन्दु-11— प्राविधानित बजट, व्यय एवं अनुमानित वार्षिक व्यय का विवरण 2009-10

मद / शीर्षक	आवंटित बजट	31.03.10 तक व्यय	अवशेष
01 वेतन	7601500	6894651	706849
02 मजदूरी	—	—	—
03 मंहगाई भत्ता	1182000	1839740	-657740
04 यात्रा भत्ता	5000	4997	3
05 अन्य भत्ते	676000	725055	-49055
08 कार्यालय व्यय	17800	17785	15
09 विघुत	532000	532000	—
10 वाटर टैक्स	23453	23453	—
11 स्टेशनरी	23000	—	—
12 कार्यालय फर्नीचर	10300	10300	—
13 टेलीफोन	6000	6000	—
17 किराया	32628	32628	—
26 साजसज्जा उपकरण	4000	3790	210
29 अनुरक्षण	27000	27000	—
31 सामग्री सम्पूर्ति	14000	13967	—
42 अन्य व्यय	5000	5000	—
44 ट्रेनिंग	—	—	—
49 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	28259	28259	—
51 वर्दी	1000	720	280

बिन्दु-12— इस संस्थान में इस कार्य से सम्बन्धित कोई भी कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु-13— इस संस्थान में इस कार्य से सम्बन्धित कोई भी कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु-14— सम्पूर्ण सूचनाओं का संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रानिक्स फार्म में उपलब्धता।

इस संस्थान की क्रिया कलापों से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनायें फलापी पर संकलित की गयी हैं।

// 13 //

बिन्दु-15- संस्थान में छात्रों के पठन-पाठन हेतु एक सुसज्जित पुस्तकालय उपलब्ध है। पुस्तकालय में पर्याप्त तकनीकी पुस्तकें एवं वीडियो कैसेट्स उपलब्ध हैं। संस्था पुस्तकालय से छात्र एवं शिक्षक लाभान्वित होते हैं। छात्रों के पढ़ने हेतु अलग से रीडिंग रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। फुटवियर/टेनिंग सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित मैगजीन्स एवं समाचार पत्रों की भी सुविधा पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह पुस्तकालय आम जनता के लिये नहीं खुला है।

बिन्दु-16- जन सूचना अधिकारी का विवरण

क्रम	नाम एवं पद नाम	कार्यालय का पता व फोन नं०	आवास का पता व फोन नं०
1-	डा० प्रदीप कुमार अवस्थी व्याख्याता कामर्स / एका०	राजकीय चर्म संस्थान, पार्वती बांगला रोड, सूटरगंज, कानपुर 0512-2531481	119 / 253 दर्शनपुरवा, कानपुर मो०नं० 9450148638
2-	श्री राज कुमार तिवारी प्रवक्ता यांत्रिक	राजकीय चर्म संस्थान, पार्वती बांगला रोड, सूटरगंज, कानपुर 0512-2531481	104 एम० आई० जी० डब्ल्यू ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर। मो०नं० 9305257489

(श्री राजकुमार तिवारी)
सहायक जनसूचना अधिकारी

(डा० पी० के० अवस्थी)
प्रधानाचार्य